

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0
वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार
जरिये भूमि अधिकारी
तहसीलदार जैतारण।

1. राजेश मेवाड़ा पुत्र पूनमचन्द जाति मेवाडा (कलाल)
निवासी 12 वीं पाल रोड, रावण का चबूतरा,
मसूरिया पुलिस चौकी के पीछे, जोधपुर।
2. रुकमादेवी पतनी चैनाराम जाति गुर्जर निवासी
मुण्डावा तहसील जैतारण
मु0न0 :रा0प्रा0पत्र स0: 98/2019 (61/2017)

राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व
हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता
है कि वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति
साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मुण्डावा पटवार
हल्का घोडावड तहसील जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 5-10 बीघा किस्म
बारानी दोयम में से अकृषिक प्रयोग लिए गए 120 वर्गफीट रकबे को खातेदारी से
विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया जाकर सिवायचक खाता
सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को
तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक संरचनाओं को भौतिक रूप से
बेदखल करें तथा इस आदेश का भू-अभिलेख में अमल दरामद करें।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **06.01.2026** को
जारी किया गया।

मोहर




सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिफ	0.00	
मिजान:-	0.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया
हो, नहीं दर्ज किया जावे।